WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Refund of fares for unused reserved railway tickets

*222. SHRI GHUFRAN AZAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal to liberalise the rules for the refund of fares for unused reserved railway tickets;

(b) if so, the details of the charges proposed to be made in the rules; and

(c) by when the changed rules would becme effective and to what extent the reserved railway tickets holders would get refund at the earliest?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A statement is laid on the Table of the Sabha. [*See* Appendix CLV, Annexure No. 58].

दिल्ली विकास प्राधिकरण में फ्लैटों के आवंटन के लिए लम्बित पड़े हुए मामले

*226. **श्री बलराम सिंह यादव :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 मई, 1990 की दैनिक हिन्दू में "डी डी ए> पैनलाइज्ड फार डिफाल्ट" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में ऐसे अनेकों मामले लंबित पड़े हुये हैं, जिनमें आवास आवंटित तो कर दिये गये हैं लेकिन आवंटिती को उनका कब्जा नहीं दिया गया है, यदि हां, तो जून, 1990 को इस प्रकार के कुल कितने मामले थे और क्या सरकार उन मामलों को एक निश्चित अवधि के भीतर निपटाने के लिये कोई निर्देश जारी करने का विचार रखती है ; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरसोली मारन) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, जून, 1990 की स्थिति के अनुसार कब्जा पत्र जारी करने के लिए ऐसे 18,967 मामले लंबित पड़े हुये थे । इनमें से, 15,699 मामलों में, भुगतान करने तथा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि जुलाई-अगस्त, 1990 में समाप्त हो गयी है तथा कब्जा पत्र जारी करने के लिये इनका सत्यापन पहले ही आरम्भ कर दिया गया है । 700 मामलों में आवंटन रद्द कर दिये गये हैं । मृत्यु/न्यायालय आदेश/दस्तावेजों की प्रमाणिकता संबंधी संदेह के 928 मामलों में कब्जा पत्र जारी करने का काम जारी रहा । 840 मामलों में फ्लैटों में बिजली/जल आपूर्ति के अभाव मे कब्ज-पत्र जारी नहीं किये गये । जिन 800 मामलों में दस्तावेज पूरे कर लिये गये है और समय पर भुगतान कर दिया गया है, उनके मामले में कब्जा पत्र पहले ही जारी कर दिये गये हैं ।

Use of sugarcane waste by-products for sugarcane cultivation

*228. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:

SHRI MAHENDRA PRASAD:

Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the Institute of Sugarcane Research, Lucknow, has established that sugarcane trash and waste by-products blended with chemicals/fertilisers increases sugarcane production by over 37 per cent besides reducing environmental pollution caused by the disposal of these wastes; and

(b) if so, what steps are being taken to popularise the use of these by-products for boosting sugarcane production?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI NITISH KUMAR): (a) Sir, the experiments on utilisation of sugarcane trash and sulphitation press mud with different doses of nitrogen indicated increase in sugaracne yield. The increase in yield varied in different experimentations and in only one exploratory trial of sugarcane trash, the increase was upto 37.5 per cent as compared to check plot having no application of nitrogen and trash.

(b) Efforts to popularise the practice of use of trash mulch application in sugarcane cultivation are made through field demonstrations and lectures.

दिल्ली मास्टर प्लान 2001

*229. **श्रीमती वीणा वर्मा :**
श्री कपिल वर्मा :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने "दिल्ली मास्टर प्लान 2001" को मंजूरी दे दी है, यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और क्या आम जनता को इस योजना की जानकारी दी गई थी ;

(ख) दिल्ली के लिये पहला मास्टर प्लान कब बनाया गया था और उसकी अवधि क्या थी ;

(ग) क्या यह सच है कि 1986 में दिल्ली के नागरिकों को यह जानकारी दी गई थी कि एक कन्सेप्चुअल प्लान तैयार किया गया है ; यदि हां, तो उसे कब लागू किया गया था ; और

(घ) क्या बहुमंजिली इमारतों के क्षेत्रफल को कम करने के लिये ग्रुप हाउसिंग का फ्लोर एरिया रेशियो कम कर दिया गया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्री (श्री मुरसोली मारन): (क) से (ग) दिल्ली की वृहद योजना 1 सितम्बर, 1962 से लागू हुई । दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अनुसार, बृहद योजना के लिये कोई अंतिम वर्ष नहीं है परन्तु जनसंख्या, भूमि की आवश्यकता तथा अवरचना आदि का प्रक्षेपण आगामी 20 वर्ष के लिये किया गया था ।

1977 में, सरकार ने दिल्ली के उप-राज्यपाल, जो दिल्ली विकास प्राधिकरण के भी अध्यक्ष हैं, को वृहद योजना में संशोधित करने के लिये अग्रिम कार्रवाई करने की सलाह दी । दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रतिष्ठित व्यवसायों/जनता के प्रतिनिधियों, संबंधित सरकारी विभागों/अभिकरणों और अन्य संबंधितों के परामर्श से आवश्यक सर्वेक्षण/अध्ययन किये । वर्ष 2001 के लिये प्रक्षेपणों पर आधारित संशोधन प्रस्ताव प्रारूप को सरकार को प्रस्तुत किया गया था तथा दिल्ली विकास अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित पद्धति के अनुसार जनता से आपत्तियों/सुझाव आमंत्रित करने के प्रकाशनार्थ अनुमोदित किया गया था । आम जनता और अन्य इच्छुक व्यक्तिगतों, संस्थाओं एवं इच्छुक वर्गों से 800 से अधिक आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुये थे । इसी बीच, सरकार ने एक अतिरिक्त सुझाव के तौर पर दिल्ली नगर कला आयोग को अपने सुझाव देने का भी अनुरोध किया । तदनुसार, दिल्ली नगर कला आयोग ने दिल्ली 2001 की संकल्पना योजना तैयार की । जनता से प्राप्त आपत्तियों/सुझावों के साथ-साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से गठत जांच बोर्ड, जिसने बारीकी से प्रत्येक आपत्ति/सुझाव की जांच की तथा संशोधन प्रारूप में शामिल करने के लिये उपर्युक्त सिफारिशें की, इस योजना की भी जांच की । योजना प्रारूप को पूर्ण रूप से संशोधित किया गया तथा इस आधार पर अद्यतन किया गया एवं तब अगस्त, 1987 में अनुमोदन के लिये इसे सरकार को प्रस्तुत किया गया । इस प्रकार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सिफारिश किये गये संशोधनों